

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रसिद्धि के द्वारा प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 1972/चैत्र 29, 1894

No. 208] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 1972/CHAITRA 29, 1894

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDERS

New Delhi, the 18th April 1972

S.O. 297(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1972.
2. The entry No. 46(iii) of Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 should be read as under:—
"46(iii). Raw Silk, Pure Silk Yarn and Silk Waste"
3. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, after the entry 46 (iii) (a) the following shall be added:—
"46(iii) (b) Pure Silk Yarn".
4. The existing entry No. (iii)(b) in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 shall be renumbered as 46(iii)(c).

[No. E(C)O 1968/AM(75.)]

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 297(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाये।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिये अनुसूची 1 के भाग 'बी' की प्रविष्टि संख्या: 46(iii) को निम्नप्रकार से पढ़ा जाना चाहिये :—
“46 (iii) कच्चा रेशम, विशुद्ध रेशमी रेशे तथा रेशम बेस्ट।”
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिये अनुसूची 1 के भाग 'बी' में प्रविष्टि 46(iii) (ए) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
“46(iii) (बी) विशुद्ध रेशमी रेशे”।
4. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 भाग 'बी' में वर्तमान प्रविष्टि 46 (iii) (बी) को 48(iii) (सी) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये।

[संख्या ई(सी)ओ, 1968/एम(75)]

S.O. 298(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixth Amendment Order, 1972
2. In part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, item No. 23(ii) (as given in paragraph 2(ii) of ETC Amendment Order No. E(C)O, 1968/AM(74) dated 30th March, 1972) should be amended to read as:—
(ii) Hand woven woollen carpets of persian and mobarik designs upto 32,000 knots sq. metre.
3. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, item No. 32(ii) (as given in paragraph 3(ii) of ETC Amendment Order No. E(C)O, 1968/AM(74) dated 30th March, 1972) should be amended to read as:—
(ii) Hand woven woollen carpets of persian and mobarik designs upto 32,000 knots per sq. metre to be exported on consignment basis or at a floor price of less than Rs. 60.00 per sq. metre f.o.b.

[No. E (C) O. 1968/AM(76).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

एस० नं० 298(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिये एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) छटा संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाये।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिये अनुसूची 1 के भाग 'बी' में मव संख्या 23 (ii) (ईटीसी संशोधन आदेश संख्या, ई(सी)ओ, 1968/एएम(74), दिनांक 30-3-1972 की कंडिका 2(ii) में दिये गये के अनुसार) को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिये संशोधित किया जाना चाहिये :—
 - (2) फारस तथा मुबारिक की डिजाइन के 32,000 गांठ वर्ग मीटर के हाथ से बुने हुए ऊनी कालीन।
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिये अनुसूची 1 के भाग 'बी' में मव संख्या 32(ii) (ईटीसी संशोधन आदेश संख्या, ई(सी)ओ, 1968/एएम(74), दिनांक 30-3-1972 की कंडिका 3(ii) में दिये गये के अनुसार) को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिये संशोधित किया जाना चाहिये :—
 - (2) फारस और मुबारिक डिजाइन के 32,000 गांठ प्रति वर्ग मीटर के हाथ से बुने हुये ऊनी कालीनों को परेषण के आधार पर या 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निःशुल्क से कम की न्यूनतम कीमत पर निष्पादित किया जाना है।

[संख्या: ई(सी)ओ, 1968ए/एम(76)]

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

